भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

*****

आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष की नियुक्ति बावत।

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम, 1999 (इसके बाद, 'अधिनियम') की धारा 3 (1) के तहत गठित सांविधिक निकाय, आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष के पद की नियुक्ति हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अधिनियम की धारा 3 (4) (क) के अनुसार अध्यक्ष को "ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव" रखने वाला व्यक्ति होना चाहिये। विस्तृत पात्रता मानदंड अन्य संगत विवरण और आवेदन पत्र मंत्रालय की वेबसाइट htt://www.disabilityaffairs.gov.in. पर उपलब्ध हैं। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार समर्थित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपने आवेदन पत्र श्री के.वी.एस.राव, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमरा संख्या 518, पांचवा तल, बी–II, पर्यावरण भवन, सीजीओ कांपलैक्स, नई दिल्ली–110003 को (ईमेल : kvs.rao13@nic.in) 31 जुलाई, 2016 तक भेज सकते हैं।

फा. संख्याः 26–25 / 2014–डीडी–III

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पर्यावरण भवन, सीजीओ कांपलैक्स

नई दिल्ली–110003,

दिनांक 3 जून, 2016

*****

विषयः ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष की नियुक्ति बावत।

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (इसके पश्चात "अधिनियम") की धारा 3 (1) के अंतर्गत किया गया है। न्यास में 22 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट अनुसार न्यास के कार्य इस प्रकार हैं:

(क) दिव्यांग व्यक्तियों को जहां तक हो सके आत्मनिर्भर और उनसे संबंधित समुदाय में और उस के समीप जीवन जीने के लिए सक्षम और सशक्त बनाना;

(ख) दिव्यांग व्यक्तियों को उनके परिवार के भीतर जीवन यापन करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु सुविधाओं को बढ़ाना;

(ग) दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को संकट के समय आवश्यकता आधारित सेवा प्रदान करने हेतु पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करना;

(घ) उन दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं का, जिनको परिवार का सहयोग प्राप्त नहीं है, समाधान करना;

(ङ) उन दिव्यांग व्यक्तियों के माता–पिता या अभिभावकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिये उपायों में संवर्धन करना;

(च) उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिये, जिन्हें इसकी आवश्यकता हो, अभिभावक और न्यासी नियुक्त करने के लिये प्रक्रिया विकसित करना।

(छ) दिव्यांग व्यक्तियों हेतु समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी सुविधा सृजित करना; और

(ज) ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो पूर्वोक्त उद्देश्यों के लिये अनुषंगिक हो।

3. राष्ट्रीय न्यास के नियम, 2000 के नियम 6 के अनुसार राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य इस प्रकार हैं:

1) अध्यक्ष बोर्ड के सभी बैठकें बुलाने और उनकी अध्यक्षता करने का उत्तरदायी होगा;

2) अध्यक्ष बोर्ड द्वारा किसी मामले पर विचार किये जाने के लिये अपेक्षित बोर्ड द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किये जाने के संबंध में किसी विषय पर अपना मत विचार किये जाने के लिये बोर्ड को प्रस्तावित करेगा;

3) अध्यक्ष न्यास का उचित रूप से संचालन करने के लिये, जिसमें इसकी स्थानीय स्तर की समितियां भी शामिल हैं, उत्तरदायी होगा और वह न्यास की नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा;

4) अध्यक्ष बोर्ड द्वारा किये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निदेश देगा।

4. अधिनियम की धारा 32 के अनुसार न्यास के सभी सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों के अनुसरण में कार्य करने समय अथवा कार्य करते हेतु अभिप्रेत होने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ की परिधि में लोक सेवक माना जायेगा।

5. **अधिनियम की धारा 4 के अनुसार नियुक्ति की अवधिः** नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष तक अथवा उसके उत्तराधिकारी की विधिवत नियुक्ति हो जाने तक, जो भी अधिक हो, परन्तु 65 वर्ष की आयु हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्यालय का कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा।

6. **अध्यक्ष का वेतनः** अध्यक्ष का वेतन भारत सरकार के सचिव के मूल वेतन और स्वीकार्य मंहगाई भत्ते, नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के समान होगा।

परन्तु उस स्थिति में, जहां अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्ध–सरकारी निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान

अथवा स्वायत्तशासी अथवा संविधिक निकाय का कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति हो, वहां उसका देय वेतन और उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या सेवा हित लाभ का पेंशन मूल्य अथवा दोनों भारत सरकार के सचिव के मूल वेतन से अधिक नहीं होंगे।

7. **आयु सीमाः** केन्द्र सरकार द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख को अध्यक्ष 62 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होनी चाहिये।

8. पात्रताः

8.1 अधिनियम की धारा 3 (4) (क) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाला अध्यक्ष ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त और अनुभवी व्यक्तियों में से होगा।

8.2 शैक्षिक योग्यतायें और अनुभवः–

(क) अनिवार्य योग्यतायेंः

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज विज्ञान अथवा शिक्षा अथवा मनोविज्ञान अथवा सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री।

अथवा

निम्नलिखित योग्यताओं में से किसी एक के साथ किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री।

(क) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता नामक विकलांगताओं में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगताओं में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ख) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता नामक विकलांगताओं में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगताओं में बी.एड।

(ग) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता नामक विकलांगताओं में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगताओं में डिप्लोमा।

(ii) प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिकाओं में शोध–पत्र के प्रकाशन को अतिरिक्त योग्यता माना जायेगा।

(ख) अनुभवः

(i) विकलांगता के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता के क्षेत्र में होना चाहिये।

(ii) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता के क्षेत्र में और कम से कम 10 वर्ष से कार्यरत गैर–सरकारी संगठन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अध्यक्ष या चैयरपर्सन या महासचिव के रूप में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।

9. आवेदन करने का तरीकाः

(i) उपर्युक्त पैरा 7 और 8 में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवार समर्थित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपने आवेदन पत्र श्री के.वी.एस.राव, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा संख्या 518, पांचवा तल, बी–II पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003 को 31 जुलाई, 2016 तक भेज सकते हैं।

(ii) आवेदन प्रपत्र इस वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

*****

राष्ट्रीय ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र

1. (क) पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
   (ख) पता :
   (ग) टेलीफोन नं. .....(का.).....(आ.).....(मो.)
   (घ) फैक्स नं. :
   (ङ) ई–मेल पता :
2. जन्म तिथि :
3. (क) शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं

उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण/पूरा करने का वर्ष	संस्थान	अंको का प्रतिशत	मुख्य विषय
उच्च स्कूल/उच्चतर माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
पीएचडी				
कोई अन्य				

(ख) प्रकाशित शोध पत्र (संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करें):

पेपर का शीर्षक	जर्नल का नाम	क्या संदर्भित हैं	किस अंक में प्रकाशित हुआ

4. अनुभव के ब्यौरे

कार्यालय/संगठन	संगठन की प्रकृति	संगठन के कार्यकलाप	वेतनमान/समेकित वेतन के साथ धारित पद	सेवा अवधि..... से .....तक	नियुक्ति का स्वरूप, क्या नियमित/तदर्थ/प्रतिनियुक्ति/मानद है	ड्यूटी/कार्य विवरण

5. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो तो, जिसका आप अपनी उम्मीदवारी के समर्थन के समर्थन में उल्लेख करना चाहें।
6. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/दिव्यांगजन श्रेणी से संबंधित हैं।
7. आवेदन–पत्र के साथ दी गई सूचना/दस्तावेज अपर्याप्त पाये जाने की स्थिति में संदर्भ हेतु दो व्यक्तियों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर ताकि उनसे अतिरिक्त सूचना प्राप्त की जा सके।
8. संलग्न दस्तावेजों की संख्या।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)
पत्राचार हेतु पूरा पता

दिनांकः
स्थानः